

आदेश:-

महानिदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पंचकूला के पत्र क्रमांक 876-891 दिनांक 27.09.2019 की अनुपालना में खरीफ की फसल के अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए निम्न प्रकार से एक मोबाईल दस्ता टीम गठित की जाती है:-

- जिला स्तर पर
1. जिला राजस्व अधिकारी यमुनानगर।
2. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी।
3. उप निदेशक कृषि यमुनानगर।
- उप मण्डल स्तर पर
1. सम्बन्धित उप मण्डलाधीश
2. सम्बन्धित उप मण्डल कृषि अधिकारी
- तहसील व खण्ड स्तर पर
1. सम्बन्धित तहसीलदार/उप तहसीलदार
2. सम्बन्धित खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी
3. सम्बन्धित खण्ड कृषि अधिकारी
- ग्राम स्तर पर
1. सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी/ATM/BTM
2. सम्बन्धित पटवारी व ग्राम सचिव
3. सम्बन्धित थाना प्रबन्धक


अध्यक्ष।  
सदस्य।

अध्यक्ष।  
सदस्य।  
सदस्य।

अध्यक्ष।  
सदस्य।  
सदस्य।

उपनिदेशक कृषि यमुनानगर उपरोक्त गठित मोबाईल दस्ता टीम के संयोजक होंगे।

उपरोक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित उप मण्डलाधीश को उनके कार्यक्षेत्र में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।


  
उपायुक्त यमुनानगर।

पृ० क्रमांक 17/96-220 / एम०ए० दिनांक 18-10-19

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित

है:-

1. महानिदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पंचकूला को उनके पत्र क्रमांक 876-891 दिनांक 27.09.2019 के सन्दर्भ में।
2. पुलिस अधीक्षक यमुनानगर।
3. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारी।
4. आशुलिपिक उपायुक्त यमुनानगर/नगराधीश/कैम्प कार्यालय यमुनानगर।

  
उपायुक्त यमुनानगर।